

अधिसूचना

{ (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-बुढेहरा प०ह०क०-89 रा०नि० वृत्त-03 तहसील-जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 10.841 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- बुढेहरा, प०ह०क०-89 रा०नि० वृत्त-03 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना  
 ख. तहसील जौरा  
 ग. ग्राम बुढेहरा  
 घ. लगभग क्षेत्रफल 10.841 हेक्टेयर  
 भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल (हेक्ट.)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	136	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.660	0.052	नरेश, राजेन्द्र पुत्रान जसवन्त रामबाई, गिरिजा पुत्रियां जसवन्त मु. लक्ष्मी बेबा जसवन्त हि 1/8 भूमिस्वामी रामस्वरूप, पंचम, विन्द्रावन पुत्रान जोधाराम बैकुन्डी रामकटोरी गंगादेवी, जयश्री पुत्रियां जोधाराम जाति त्यागी पता निवासी ग्राम हि. 7/8 भाग भूमिस्वामी
2	137	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.220	1.183	विन्द्रावन पुत्र जोधाराम जाति त्यागी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
3	138	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.500	0.155	संतोषी सियाराम पि. घन्सु जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 22.78

